न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट –ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 74/2025

शीर्षक

1. बाबूलाल पुत्र गोमा
2. गोकूल पत्नी हनुमान

समस्त वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र नारायण लाल
2. रामचन्द्र पुत्र नारायण लाल

समस्त जाति अहीर, निवासी बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज लगान व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय

दिनांक :– 11/6/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :– यहकि हाल आराजी खाता सं0–235 के हाल आराजी खसरा नं0–1266/0 08, 1267/0.08, 1272/0.14, 1273/0.13 हैक्टर कुल किता–4 कुल रकबा 0.43 हैक्टर वाकै ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 सलग्न वाद पत्र है। यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 234 के हाल आराजी खसरा नंबर 1243/0.21, 1258/0.12 है0 वाकै ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसके सम्पूर्ण भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल हाल जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी के हिस्से 1/2 भाग पर बंटवारे के आधार पर वादीगण के कब्जे काश्त में रही है वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य रहे है जो कि देबू पुत्र लादू के वशज रहे है वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपनी आराजी का बाहमी बटवारा कर रखा है और बाहमी बटवारे के

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने कब्जे काश्त के आधार पर काबिज है लेकिन राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी बाहमी बटवारे के आधार पर वादीगण के हिस्से में होने पर भी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड की गई है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी के हिस्से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्याय संगत है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–2 में वर्णित आराजी खसरा न0–1258/0.12 हैक्टर की खातेदारी भी राजस्व कर्मचारीयो द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई है जबकि उक्त खसरा नं0–1258/0.12 हैक्टर भूमि में से 0.0575 हैक्टर भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने व बाहमी बटवारे में वादीगण के हिस्से में होने के कारण वादीगण को उक्त वर्णित आराजी के हिस्से 23/48 भाग यानि 0.0575 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। यहकि वादीगण को उक्त राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई तो प्रतिवादीगण पहले तो वादीगण को यह आश्वासन देते रहे कि हम जल्दी ही उपखण्डीयक कार्यालय चलकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाकर उक्त वर्णित आराजी में तुम्हारे हिस्से की आराजी तुम्हारे नाम करवा देगे लेकिन अर्सा करीब 15 दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त वर्णित आराजी को अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने के लिए निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये और आराजी का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने व आराजी वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने से साफ इकार हो गये और वादीगण को यह एलानियाँ धमकी दी गई है कि तुम्हारे हक अधिकार की आराजी का बेचान दीगर व्यक्तियों को करेगे इस कारण उनवानी वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यहकि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दी गई उक्त वर्णित धमकी के चलते दो दिन पूर्व प्रतिवादीगण अपने साथ चार पाँच व्यक्तियो को साथ लेकर वादीगण की कब्जे काश्त व स्वामित्व हक अधिकार की आराजी में अनाधिकृत रूप से घुसकर आराजी को बेचान करने की बातचीत करने लगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त आराजी हमारे कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी है, तो प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये और वादीगण के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गये और वादीगण को यह एलानियाँ धमकी दी गई है कि उक्त वर्णित आराजी जो कि तुम्हारे कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि है जो हमारे नाम होने के कारण इसका बेचान जल्दी ही दीगर व्यक्तियो को कर तुम्हे आराजी से जबरन बेदखल कर स्वय कब्जा कर लेगे इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त वर्णित अवैध मन्सूबो में कामयाब हो गये और आराजी का बेचान दीगर व्यक्तियो को कर आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल कर दिया गया तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार किसी भी धनराशि में किया जाना सम्भव नहीं होगा और वादीगण को

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अनेको मुकदमें बाजी में फसना पड़ेगा इस कारण उनवानी वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं0–235 के हाल आराजी खसरा नं0–1266/0.08, 1267/0.08, 1272/0.14, 1273/0.13 हैक्टर कुल किता–4 कुल रकबा 0.43 हैक्टर वाकै ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर के हिस्से 1/2 भाग की खातेदारी में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। यहकि हाल आराजी खसरा नं0–1243/0.21, 1258/0.12 हैक्टर वाकै ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की सम्पूर्ण भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है उक्त भूमि मे से खसरा नं0–1258/0.12 हेक्टर मे से हिस्सा 23/48 यानि 0.0575 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2. में वर्णित भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे जबकि वादीगण को शांति पूर्वक अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे, आराजी मुतनाजा को दीगर व्यक्तियो को रहन बय हस्तान्तरण नहीं करे, आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये प्रकरण में दिनांक 06.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवीर कपूरिया ने वकालतनामा पेश किया। वकील उभयपक्ष ने प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा पेश कर दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रस्तुत राजीनामा इस प्रकार है :– यहकि हाल आराजी खाता सं. 235 के हाल आराजी खसरा नंबर 1266/0.08, 1267/0.08, 1272/0.14, 1273/0.13 कुल किता 4 रकबा 0.43 हैक्ट, वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज मे स्थित है। जिसके 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यहकि हाल आराजी खाता सं. 234 के हाल आराजी खसरा नंबर 1243/0.21, 1258/0.12 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.33 हैक्ट. वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज मे स्थित है। जिसमे सम्पूर्ण भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं. 01 में वर्णित आराजी के हिस्से 1/2 भाग पर बटवारे के आधार पर वादीगण के कब्जे काश्त मे रही है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य रहे है जो कि देबू पुत्र लादू के वशज रहे है वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपनी आराजी का बाहमी बटवारा कर रखा है और बाहमी बटवारे के आधार पर ही वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने कब्जे काश्त के आधार पर काबिज है लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा वाद पत्र के जिमन नं 01 में वर्णित आराजी बाहमी बटवारे

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

के आधार पर वादीगण के हिस्से में होने पर भी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड की गई है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण को वाद पत्र के जिमन नं 01 में वर्णित आराजी के हिस्से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं 02 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 1258/0 12 हैक्ट की खातेदारी भी राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई है जबकि उक्त खसरा नंबर नं. 1258/0.12 हैक्ट. भूमि मे से 0.0575 हैक्ट. भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने व बाहमी बंटवारे में वादीगण के हिस्से मे होने के कारण वादीगण को उक्त वर्णित आराजी के हिस्से 23/48 भाग यानि 0.0575 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। यहकि वादी व प्रतिवादीगण ने इस प्रकार आपस मे बैठकर व लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है जो इस प्रकार है – यहकि हाल आराजी खाता सं. 235 के हाल आराजी खसरा नंबर 1266/0.08, 1267/0.08, 1272/0.14, 1273/0.13 कुल किता 4 रकबा 0.43 हैक्ट. वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज के हिस्से 1/2 भाग की खातेदारी में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व खसरा नंबर 1243/0.21, 1258/012 हैक्ट. जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 1258/0.12 हैक्ट. मे से हिस्सा 23/48 यानि 0.0575 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसका राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तो प्रतिवादीगण व वादीगण को कोई आपत्ति एतराज नही होगा। यहकि उपरोक्तानुसार यदि वादीगण व प्रतिवादीगण मे खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर दिया जावे तो वादी एंव प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामे पर वादीगण व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर मय फोटो अंकित है एवं वादी व प्रतिवादीगण के आदेशिका पर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने बाबत् हस्ताक्षर किये है, जिसका प्रमाणीकरण वकील उभयपक्ष द्वारा किया गया है एवं राजीनामें अनुसार निर्णय बाबत् प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होने से दावा राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद उभयपक्ष की सहमति एवं राजीनामें अनुसार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खाता संख्या 235 के हाल आराजी खसरा नंबर 1266/0.08 है0, 1267/0.08 है0, 1272/0.14 है0, 1273/0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.43 है0 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 के हिस्से 1/2 भाग की खातेदारी में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नंबर 1243/0.21 है0, 1258/0.12 है0 जो प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

के नाम दर्ज है उक्त भूमि में से खसरा नंबर 1258/0.12 है0 में से हिस्सा 23/48 यानि 0.0575 है0 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आयी भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे व शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करें। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। ताजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/6/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार डूडी, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला–जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट –ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 74/2025

शीर्षक

1. बाबूलाल पुत्र गोमा
2. गोकूल पत्नी हनुमान

समस्त वयस्क, जाति अहीर, निवासी ग्राम बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

वादीगण

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र नारायण लाल
2. रामचन्द्र पुत्र नारायण लाल

समस्त जाति अहीर, निवासी बिदारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज लगान व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

निर्णय दिनांक :– 11/6/2025

अतः वादीगण का वाद उभयपक्ष की सहमति एवं राजीनामें अनुसार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खाता संख्या 235 के हाल आराजी खसरा नंबर 1266/0.08 है0, 1267/0.08 है0, 1272/0.14 है0, 1273/0.13 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.43 है0 वाकै ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 के हिस्से 1/2 भाग की खातेदारी में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खसरा नंबर 1243/0.21 है0, 1258/0.12 है0 जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है उक्त भूमि में से खसरा नंबर 1258/0.12 है0 में से हिस्सा 23/48 यानि 0.0575 है0 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आयी भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे व शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

करें। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज तारीख 11/6/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

न्यायालय सहायक कलक्टर • शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. • सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner